

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० ।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० ।
4. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र० ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 19 जून, 2017

विषय- सभी नागरिकों के लिए, बिना किसी भेद-भाव के, भयमुक्त वातावरण में "प्रथम सूचना रिपोर्ट" (FIR) दर्ज कराना सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में प्रत्येक नागरिक/व्यक्ति को भयमुक्त वातावरण प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। सभी नागरिकों के लिए बिना जाति और धर्म के भेदभाव के, भयमुक्त वातावरण में "प्रथम सूचना रिपोर्ट" (FIR) दर्ज कराना वर्तमान सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है तथा शासन जनता के विधिक अधिकार के परिरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किये जाने अथवा विलम्ब से दर्ज किये जाने या दर्ज रिपोर्ट की विवेचना समय से न किये जाने को शासन द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना तथा अपराध की समयान्तर्गत विवेचना पूर्ण कर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कराना पुलिस प्रशासन का गुरुतर दायित्व है।

2. प्रायः इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि किसी घटित घटना की "प्रथम सूचना रिपोर्ट" (FIR) दर्ज करने में पीड़ित पक्ष को कई बार थानों अथवा जनपद/मण्डल के विभिन्न स्तरीय पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, परन्तु फिर भी उनकी प्रथम सूचना दर्ज नहीं की जाती है। है। अन्ततोगत्वा पीड़ित पक्ष द्वारा बाध्य होकर "प्रथम सूचना रिपोर्ट" (FIR) का पंजीकरण न होने के सम्बन्ध में उच्च स्तरों पर शिकायतें प्रस्तुत की जाती हैं अथवा न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। ऐसी प्रवृत्ति के चलते जहाँ एक ओर जन सामान्य का पुलिस एवं कानून व्यवस्था पर स्रे विश्वास उठ जाता है, वहीं दूसरी ओर इससे शासन की छवि धूमिल होती है।

3. "प्रथम सूचना रिपोर्ट" (FIR) दर्ज कराये जाने के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की पूर्ण संवैधानिक पीठ द्वारा रिट याचिका (कि०) संख्या-68/2008 ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12 नवम्बर, 2013 का प्रभावी अंश निम्नवत् है :-

" 111. In view of the aforesaid discussion, we hold:

i. Registration of FIR is mandatory under Section 154 of the Code, if the information discloses commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such a situation.

ii. If the information received does not disclose a cognizable offence but indicates the necessity for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offence is disclosed or not.

iii. If the inquiry discloses the commission of a cognizable offence, the FIR must be registered. In cases where preliminary inquiry ends in closing the complaint, a copy of the entry of such closure must be supplied to the first informant forthwith and not later than one week. It must disclose reasons in brief for closing the complaint and not proceeding further.

iv. The police officer cannot avoid his duty of registering offence if cognizable offence is disclosed. Action must be taken against erring officers who do not register the FIR if information received by him discloses a cognizable offence.

v. The scope of preliminary inquiry is not to verify the veracity or otherwise of the information received but only to ascertain whether the information reveals any cognizable offence.

vi. As to what type and in which cases preliminary inquiry is to be conducted will depend on the facts and circumstances of each case. The category of cases in which preliminary inquiry may be made are as under:

a. Matrimonial disputes/ family disputes

b. Commercial offences

c. Medical negligence cases

d. Corruption cases

e. Cases where there is abnormal delay/laches in initiating criminal prosecution, for example, over 3 months delay in reporting the matter without satisfactorily explaining the reasons for delay. The aforesaid are only illustrations and not exhaustive of all conditions which may warrant preliminary inquiry.

vii. While ensuring and protecting the rights of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made time bound and in any case it should not exceed 7 days. The fact of such delay and the causes of it must be reflected in the General Diary entry.

viii. Since the General Diary/Station Diary/Daily Diary is the record of all information received in a police station, we direct that all information relating to cognizable offences, whether resulting in registration of FIR or leading to an inquiry, must be mandatorily and meticulously reflected in the said Diary and the decision to conduct a preliminary inquiry must also be reflected, as mentioned above."

4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश में अनिवार्य रूप से अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश के कारण उसके दुरुपयोग को रोकने हेतु निम्न संवीक्षण भी किये गये हैं :-

**"Is there a likelihood of misuse of the provision?"**

97. Another, stimulating argument raised in support of preliminary inquiry is that mandatory registration of FIRs will lead to arbitrary arrest, which will directly be in contravention of Article 21 of the Constitution.

98. While registration of FIR is mandatory, arrest of the accused immediately on registration of FIR is not at all mandatory. In fact, registration of FIR and arrest of an accused person are two entirely different concepts under the law, and there are several safeguards available against arrest. Moreover, it is also pertinent to mention that an accused person also has a right to

apply for "anticipatory bail" under the provisions of Section 438 of the Code if the conditions mentioned therein are satisfied. Thus, in appropriate cases, he can avoid the arrest under that provision by obtaining an order from the Court.

99. It is also relevant to note that in *Joginder Kumar vs. State of U.P. & Ors. (1994) 4 SCC 260*, this Court has held that arrest cannot be made by police in a routine manner. Some important observations are reproduced asunder:- "20. No arrest can be made in a routine manner on a mere allegation of commission of an offence made against a person. It would be prudent for a police officer in the interest of protection of the constitutional rights of a citizen and perhaps in his own interest that no arrest should be made without a reasonable satisfaction reached after some investigation as to the genuineness and bona fides of a complaint and a reasonable belief both as to the person's complicity and even so as to the need to effect arrest. Denying a person of his liberty is a serious matter.

The recommendations of the Police Commission merely reflect the constitutional concomitants of the fundamental right to personal liberty and freedom. A person is not liable to arrest merely on the suspicion of complicity in an offence. There must be some reasonable justification in the opinion of the officer effecting the arrest that such arrest is necessary and justified. Except in heinous offences, an arrest must be avoided if a police officer issues notice to person to attend the Station House and not to leave the Station without permission would do."

100. The registration of FIR under Section 154 of the Code and arrest of an accused person under Section 41 are two entirely different things. It is not correct to say that just because FIR is registered, the accused person can be arrested immediately. It is the imaginary fear that "merely because FIR has been registered, it would require arrest of the accused and thereby leading to loss of his reputation" and it should not be allowed by this Court to hold that registration of FIR is not mandatory to avoid such inconvenience to some persons. The remedy lies in strictly enforcing the safeguards available against arbitrary arrests made by the police and not in allowing the police to avoid mandatory registration of FIR when the information discloses commission of a cognizable offence."

5. उपरोक्त प्रस्तर-3 एवं 4 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन एवं संवीक्षणों के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएँ तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समस्त संबंधित अधीनस्थों को इनकी जानकारी सेमीनार तथा कार्यशालाओं का आयोजन करके दी जाय तथा इसका अनुश्रवण भी नियमित रूप से किया जाय।

6. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी "प्रथम सूचना रिपोर्ट" (FIR) पंजीकरण काउण्टर खोला जाय।

7. जनपदीय/परिक्षेत्रीय/जोनल स्तर पर प्रतिदिन यह ऑकलन कर लिया जाय कि कितने प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये गये, उनका अनुश्रवण किया जाय तथा समयबद्ध तरीके से विवेचना कर अग्रिम कार्यवाही की जाय। इसकी सूचना नियमित रूप से पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, कन्ट्रोल रूम को प्रेषित की जाय। मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक द्वारा विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी।

8. शासन की अधिसूचना संख्या-804पी/छ:-पु0-06-2016- 300(84)-15, दिनांक 24 मई, 2016 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन, उत्तर प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, महानगर, लखनऊ में "ई-पुलिस स्टेशन" की स्थापना की गयी है, जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की है। "ई-पुलिस स्टेशन" उत्तर प्रदेश के मोबाइल एवं वेब एप्लीकेशन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपराध हेतु इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त सूचना के आधार पर एफ0आई0आर0 पंजीकृत करेगा तथा शिकायतकर्ता को डिजिटल

उत्तर प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, महानगर, लखनऊ में "ई-पुलिस स्टेशन" की स्थापना की गयी है, जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की है। "ई-पुलिस स्टेशन" उत्तर प्रदेश के मोबाइल एवं वेब एप्लीकेशन या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपराध हेतु इलेक्ट्रानिकली प्राप्त सूचना के आधार पर एफ़0आई0आर0 पंजीकृत करेगा तथा शिकायतकर्ता को डिजिटल हस्ताक्षरित एफ़0आई0आर0 का इलेक्ट्रानिकल संचरण सुनिश्चित करेगा। इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

9. ई-थाना के माध्यम से शिकायतकर्ता कहीं से भी उत्तर प्रदेश में घटित होने वाले अज्ञात तथा ऐसे अपराध जो गम्भीर प्रकृति के न हों, की प्रथम सूचना का पंजीकरण उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट [www.uppolice.gov.in](http://www.uppolice.gov.in) में करा सकते हैं। इसके लिए उसे [www.uppolice.gov.in>e-fir>create citizen login](http://www.uppolice.gov.in>e-fir>create citizen login) में जाकर अपना एक लागिन एकाउन्ट बनाकर उसे लागिन कर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

10. "प्रथम सूचना रिपोर्ट" के संबंध में उपरोक्त दिशा-निर्देशों तथा विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। भविष्य में कोई "प्रथम सूचना रिपोर्ट" (FIR) के पंजीकरण में बरती गयी किसी भी प्रकार की शिथिलता को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

  
(अरविन्द कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(विनय शंकर पाण्डेय)  
उप सचिव।